**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क–4) विभाग**

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क–4/2016 जयपुर, दिनांक : 11-05-2017

**आज्ञा**

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में श्री जगनलाल मीणा (अजजा) के विरूद्ध सीसीए नियम–17 में आरोप पत्र दिनांक 10.06.2013 लम्बित होने के कारण इनका प्रकरण सीलबन्द लिफाफे में रखा गया।

जिला कलेक्टर, झालावाड़ के आदेश दिनांक 06.01.2017 के द्वारा श्री जगनलाल मीणा को भविष्य में सभी कार्य समयबद्ध एवं नियमानुसार सम्पादित करने की चेतावनी के साथ प्रकरण ड्रॉप कर दिया गया है। फलस्वरूप श्री जगनलाल मीणा के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री जगनलाल मीणा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री जगनलाल मीणा (अजजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम सुरज्ञानीलाल मीणा (अजजा) के नीचे एवं श्री सुरेश कुमार चावला (अजा) के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री जगनलाल मीणा अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, करौली।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव